बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 19663 / पटना, दिनांक 04/09/14

सं0सं0-ग्रा0वि0-06-जि0ग्रा0वि0अभि0प्रशा0/स्था0-11/2012

आदेश

राज्य के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में अनुबंध पर नियोजित कर्मियों की सुविधाओं में वृद्धि के संबंध में विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित अतिरिक्त सुविधाएँ उन्हें प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

(क) महिला कर्मियों को प्रत्येक माह दो दिन का विशेष अवकाश तथा दो संतान की सीमा के अधीन अधिकतम 90 दिन प्रत्येक बार मातृत्व अवकाश (सवैतनिक) की सुविधा देय होगी ।

(ख) डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को प्रतिमाह 200/- (दो सौ) की दर से चिकित्सा भत्ता देय होगी ।

(ग) डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को राज्य सरकार में लागू पद्धति से यात्रा व्यय का निम्नवत भुगतान किया जायेगा ।

कार्मिक श्रेणी एवं अनुमान्य यात्रा साधन तथा दैनिक भत्ते ।

क्र. सं.	पदनाम	रेल यात्रा अनुमान्यता	सड़क यात्रा अनुमान्यता	दैनिक भत्ता					
				नगर श्रेणी X		नगर श्रेणी Y		नगर श्रेणी Z	
				होटल रहित	होटल सहित	होटल रहित	होटल सहित	होटल रहित	होटल सहित
A	कार्यपालक अभियंता	AC-2 या निम्न श्रेणी का वास्तविक रेल भाड़ा या न्यून श्रेणी (टिकट प्रस्तुत करने पर)	AC बस / टैक्सी / कार रसीद प्रस्तुत करने पर वास्तविक भाड़ा न्यून श्रेणी (टिकट रसीद प्रस्तुत करने पर)	400	3000	300	2000	200	1000
B	1. सहायक अभियंता 2. वरीय लेखा पदा0 3. सहायक परि0 पदा0 4. परि0 अर्थशास्त्री 5. कार्यालय अधीक्षक 6. लेखा पदाधिकारी	AC-3 या निम्न श्रेणी का वास्तविक रेल भाड़ा (टिकट प्रस्तुत करने पर)	तदैव	300	1500	200	1000	150	500

९	अन्य सभी कार्मिक	शयनयान श्रेणी या निम्न श्रेणी का वास्तविक भाड़ा(टिकट प्रस्तुत करने पर)	सामान्य बस/ आँटो का वास्तविक भाड़ा (टिकट प्रस्तुत करने पर)	200	1000	150	500	100	300

(घ) द्वितीय श्रेणी से उच्च श्रेणी में यात्रा करने पर टिकट प्रस्तुत करने पर ही दावा मान्य होगा । तथा दैनिक भत्ता आदि के संदर्भ में बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के प्रावधान लागू होगे ।

(ङ) होटल व्यय सहित दैनिक भत्ता का दावा होटल की रसीद के साथ प्रस्तुत किया जायेगा तथा वास्विक व्यय एवं निर्धारित भत्ता, दोनों में जो कम हो, की राशि ही भुगतेय होगी ।

(च) यात्रा अनिवार्यत: उप विकास आयुक्त की लिखित अनुमति प्राप्त रहने पर ही की जायगी ।

2. उपर्युक्त सुविधाएँ दिनांक- 01.08.2014 से प्रभावी होगी ।
3. संबंधित सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा उपर्युक्त सुविधाओं को लागू करने पर प्रबंध समिति का अनुमोदन प्राप्त कर इसे लागू किया जायेगा ।
4. संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इसके त्वरित कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
5. इसमें माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग की सहमति प्राप्त है ।

(एस0एम0 मंजू) भा0प्र0से0,
सरकार के सचिव 4/9/14

ज्ञापांक 199663 / पटना, दिनांक 04/09/14

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार / आई0टी0 प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 199663 / पटना, दिनांक 04/09/14 4/9/14

प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / आप्त सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

4/9/14